

जातियां हैं, जिनका रोटी-बेटी का रिश्ता है, खान-पान एक जैसा है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची 1950 की बनी हुई है। इन जातियों के लिए भी सरकार ने 22 दिसम्बर, 2016 में शासनादेश जारी किया था, उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने stay कर दिया, फिर 29 मार्च 2017 को stay vacate हुआ। अभी हाल ही में सरकार ने *

श्री सभापति: धन्यवाद, विशम्भर जी। हमेशा समय को ध्यान में रखकर समाप्त करना चाहिए। अब तो आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

Delimitation of blocks for better development

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, भारत में लगभग 5500 विकास खंड हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि, पेयजल, सड़क, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आवास, स्वच्छता, पंचायती राज, पशुपालन इत्यादि विभागों के कार्यों का निष्पादन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी एवं मार्गदर्शन किया जाता है। इन विकास खंडों को देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है। कहीं इन्हें तालुका, कहीं मंडल, कहीं सर्किल और कहीं-कहीं पंचायत समिति कहा जाता है।

सभापति महोदय, मेरी मांग है कि जिस तरह देश में अन्य प्रशासनिक इकाइयों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, उदाहरणस्वरूप पूरे देश में राज्य को राज्य कहा जाता है, जिले को जिला कहा जाता है, ग्राम को ग्राम कहा जाता है, पंचायत को पंचायत कहा जाता है, यह जो प्रशासनिक इकाई ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से इसको भी पूरे देश में एक ही नाम से पुकारना चाहिए। इन विकास खंड इकाइयों का लंबे कालखंड से पुनर्निर्माण अथवा परिसीमन नहीं हुआ है। इसके कारण कई विसंगतियां एवं परस्पर असंतुलन व्याप्त हो गया है। विसंगति और असंतुलन का जो प्रमुख कारण है, वह देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिसके कारण पंचायतों की संख्या बढ़ गई है। कई निर्जन गांव अब आबाद हो गए हैं, उसके कारण भी पंचायतों की संख्या बढ़ गई है। कई मसारी गांव जो पहले भारत के नक्शे में नहीं थे, अब उनका नक्शा निर्धारण हो गया है और राजस्व गांव में परिवर्तित हो गए हैं। वहां पर भी पंचायतें बन गई हैं। उससे भी पंचायतों की संख्या बढ़ी है। देश में शहरीकरण बढ़ा है, तो शहरों के आस-पास जो ग्राम पंचायतें हैं, वे धीरे-धीरे शहरों में विलीन होती जा रही हैं। इसके कारण भी संख्या में असर हुआ है। सभापति

महोदय, इस परिवर्तन के कारण जो विकास खंड हैं, उनमें परस्पर असंतुलन व्याप्त हो गया है। कई-कई विकास खंडों में तो डेढ़ सौ पंचायतें सम्मिलित हैं और किसी-किसी विकास खंड में मात्र 25-30 पंचायतें ही शेष रह गई हैं। इसलिए इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए विकास खंड का पुनर्गठन अथवा परिसीमन करना आवश्यक है। राज्य सरकार, जो अन्य प्रशासनिक इकाइयां हैं, मसलन, जिला, तहसील, पुलिस थाना इनका तो परिसीमन करती है, पुनर्निर्धारण करती है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार विकास खंडों का परिसीमन और पुनर्निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास है और यह निर्धारण एक लंबे समय से नहीं हुआ है। इसलिए जो राज्य की अन्य प्रशासनिक इकाइयां हैं और विकास खंड हैं, इनके बीच में भी एक असंतुलन व्याप्त हो गया है। आजादी के बाद से चार बार विधान सभा और लोक सभा का परिसीमन हो गया है, इसलिए मेरी मांग है कि संसद कोई नियम बनाए, उस नियम के तहत *

श्री सभापति: अजय जी, टाइम खत्म हो गया है। आपने एक मौलिक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, मैं आशा करता हूँ कि सरकार और सदन इसके ऊपर ध्यान दे। यह केवल ऑर्डर से नहीं होगा, इसमें सर्वसम्मति बनानी होगी और प्रदेश सरकारों से भी बात करनी होगी। यह मुद्दा जमीन लेवल से जुड़ा हुआ है।

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

डा. डी.पी. वत्स (हरियाणा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सभापति: श्रीमती जया बच्चन जी.... आप पहले मुझे बताइए कि आप क्यों इतनी नाराज़ हो गईं?

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, मैं इसलिए नाराज़ हो गई कि आपको पता होगा कि एक तीन साल की बच्ची को....

श्री सभापति: वह तो अलग बात है।

श्रीमती जया बच्चन: झारखंड के जमशेदपुर में उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, फिर उसको pieces में काटकर एक प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंक दिया गया।

श्री सभापति: यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस विषय पर आइए।

श्रीमती जया बच्चन: सर, आपने पूछा, इसलिए मैं बता रही हूँ।

श्री सभापति: ठीक है। ...(व्यवधान)... प्लीज़, प्लीज़। सामाजिक समस्या का राजनीतिकरण नहीं करना है।

The plight of entertainment industry in India

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, according to a recent Bloomberg News Analysis, India is likely to have the world's largest workplace by 2027 with a billion people aged between 15 and 64 years. There are professional individuals like lawyers, Chartered Accountants, scientists and many such individual professionals in India, who are very, very senior and very capable people, a lot of them are present in the House here. But, today, I am speaking of professional individuals of the film industry, or the entertainment industry, to be precise. Sir, these people are paying professional tax of 42.7 per cent, while the private companies are paying the tax of 27.8 per cent. The pressure of this heavy tax system and the pressure of the enforcing authorities are very discouraging to these highest tax-paying individuals and law-abiding citizens. The Indian film industry is an infrastructure-based industry and every sector is interlinked. The growth of the film industry, therefore, promotes growth at several layers and contributes to overall economic growth. Indian films, their world-wide, release reach out to approximately two billion people, including the Indian sub-continent, Indian Diaspora and international audience world-wide. Such a massive outreach to about one-third of the global population is a massive platform to showcase India and its talent to the world. The Indian film industry supports the 'Made in India' initiative and seeks to go global, not only by mere portrayal of Indian films abroad but by being the preferred destination of international studios for their content, creation and post-production. Unfortunately, foreign units find it difficult to get permission due to absence of single-window clearance which is hindering the prospects of so many people who could get employment. A very famous Hollywood actor refused to shoot in India and he said to the media that it is impossible to work in India though there are many areas where international films can ... खत्म हो गया।

श्री सभापति: नहीं, आप टाइम भी देखिए। What is your suggestion?

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Infringement of creative intellectual property is rampant and India is ranked as the second largest offender of intellectual property in the world.